D.N = 3/..

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 187/2017

कालु पिता रामपाल बनाम छीतर लाला ब्राह्मण वगैरह
जाति ब्राह्मण नि० श्रीनगर
त. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

दिनांक– 28/8/17

– आदेश :–

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कालु ब्राह्मण ने जरिये अभिभाषक श्री राधेश्याम शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम श्रीनगर प0ह0 श्रीनगर तह0 माण्डलगढ मे आराजी 395/1 किता रकबा बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे। साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्रार्थी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया ग्राम श्रीनगर की आराजी न0 395/1 रकबा बीघा बिस्वा 15 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता कमीशनर फीस /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसील माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ